SHRI KAMAL NATH: This has been a matter of concern. The Indian Meteorological Department... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: You have got a scientist's opinion also. So you will consider it.

SHRI KAMAL NATH: Yes. The Indian Meteorological Department has already carried out a study on this and has stated that this would not have any effect on the rainfall pattern in the monsoon. If there is any evidence on this ... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: You get in touch with Dr. Raja Ramanna. He is an eminent scientist. If you can get any advantage out of it you should do it.

Rationalisation of excise duty structure on Aluminium

*23. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to rationalise the excise duty structure on aluminium;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the excise duty on aluminium is much higher as compared to other competing materials like wood and steel;

(d) if so, whether Government propose to review its stand on excise duty structure in view of (c) above; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) (No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) Basic excise duty on aluminium and articles thereof ranges from 25 per cent to 35 per cent *ad valorem*. The incidence of duty on iron and steel which are subjected to specific rates of duty works out to about 10 per cent *ad valorem*. There is no excise duty on wood, but plywood in general attract a duty of 30 per cent *ad valorem*.

(d) Government do not propose to review the excise duty structure on aluminium for the present.

(e) Does not arise in view of (d) above.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : सर, ए का जवाब नो सर है। डी के जवाब में लिखा है कि Government do not propose to review the excise duty structure on alumnium for the present.

इसलिये गुंजाइश है कि कुछ बात की जा सकती है। सी के जवाब में मैंने पूछा था कि कंपीटिंग मैटीरियल्स लाइक वूड एंड स्टील के मुकाबले एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इंस्टेड आफ अग्रीइंग कि ज्यादा है, दे हैव गिवन दि फिगर्स। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश के अन्दर लकड़ी की बहुत कमी है तथा जंगल बहुत कम है। इसीलिये ज्यादा से ज्यादा लकड़ी कंजर्व की जा सके, बचाई जा सके और अल्यूमीनियम का यूज किया जाये, यह देश सेवा होगी। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये, आपका अल्युमीनियम के ऊपर 25–35 परसेंट हो, स्टील के ऊपर 10 परसेंट हो और लकड़ी के ऊपर जीरो परसेंट हो, क्या आप इस बारे में ध्यान देंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय, अल्युमिनियम का 40 प्रतिशत हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में व्यवहार करते हैं, जिसमें मोडवेट की सुविधा उपलब्ध है, इसलिये इसमें उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। खास तौर से अलमयुमीनियम के साथ जिन वस्तुओं का संबंध है, जिसमें लोहा और प्लास्टिक है, ये इसके साथ कंपीट करते हैं, इसके

साथ उनका संबंध है। इसलिये बर्तन दरवाजे और दूसरे जो हमारे विनिर्माण के सामान बनते हैं, इसमें अल्युमीनियम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये, हमारे यहां पहले से ही, जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं और जो इसके फ्रेम है इसमें हमने छूट दी है। जो केबल हैं, जो हमारे रसोई घर के सामान हैं, उसमें हमने पहले से ही छूट दी है। इसलिये अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार यह उद्योग बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें अभी तत्काल हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें छूट देने की गुंजाइश नहीं है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय हमारे कुलीग हैं, मित्र हैं, लेकिन मुझे यह कहना पड़ेगा कि शायद वे मेरे क्वैश्चन को समझे नहीं। मेरा यह कहना है कि वर्ल्ड के अन्दर इस वक्त पर केपिटा अल्युमिनियम की खपत तीन किलोग्राम है और हमारे देश के अन्दर यह एक्सेड्रीमली लो है, 0.5 किलोग्राम है। उसका कारण यही है कि इसके ऊपर एक्साइज डयूटी बहुत ज्यादा है। एक्साइज डयूटी इसलिये लगाई जाती है ताकि गवर्नमेंट के पास धन आ सके। अगर अल्युमिनियम की खपत ज्यादा हो जाये, हमारे पास देश में बाक्साइट के भंडार बहुत ज्यादा है, यदि हमारी अल्युमिनियम की यूटीलाइजेशन ज्यादा हो जाये, 0.5 से अगर एक किलोग्राम पर केपिटा हो जाये तो क्या इसको डबल करने के लिये आप एक्साइज डयूटी घटायेंगे ? अगर घटायेंगे तो आपको जो रुपया आना है वह उतना ही आयेगा बल्कि ज्यादा भी आ सकेगा। क्या आप ऐसा ढंग अपनायेंगे कि देश के अन्दर अल्युमिनियम की खपत अधिक से अधिक हो सके और लकड़ी को बचाया जा सके ? मेरा बेसिक क्वैश्चन यही है।

सभापति : इस सिलसिले में इन बातों पर गौर करके क्या आप फिर गौर करेंगे कम करने के बारे में ?

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : वह तो उन्होंने पहले कह दिया है, नो सर।

श्री सभापति : आपने इतनी बातें बताई हैं, अब यही सवाल हुआ न आपका ? मैंने आपका सवाल बता दिया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय, मैंने बताया कि हम लोगों ने अल्युमिनियम के प्रयोग को बढ़ावा दिया है उसमें अब इस्तेमाल की वस्तुयें हैं जैसे दरवाजे, खिड़कियां, हाऊसहोल्ड गुड्स या दूसरी अब कंजम्पशन की चीजें हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। 1980-81 में दो लाख इक्कीस हजार टन था जो बढ़ कर 1990-91 में चार लाख उनसठ हजार टन हो गया है और हमारी उम्मीद है कि इस साल चार लाख इक्यानवे हजार टन होगा। इसलिये दो गुना से अधिक तो पहले ही हो चुका है। हमारे यहां पांच कारखाने हैं दो पब्लिक सेक्टर में और तीन प्राइवेट सेक्टर में हैं जो पूरी केपेसिटी पर काम कर रहे हैं। हम पहले आयात किया करते थे। 1983-84 में हमने 18 हजार टन का आयात किया और 1987-88 में यह 65 हजार टन हो गया लेकिन उसके बाद 1988 के बाद से हमने आयात करीब करीब बन्द कर दिया है। अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं तथा हम लोग बाहर भेजने की स्थिति में भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया है माननीय सदस्य महोदय को, इनके प्रश्न के अर्थ को समझते हुये ही मैंने कहा है कि आज की जो आर्थिक स्थिति है उस में एक्साइज डयूटी में और छूट की गुंजाइश नहीं है।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैंने एक सवाल किया था पर-केपिटा खपत 0.5 के०जी० है उसको बढ़ा कर 1 के०जी० कर दें। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : वह तो हो गया है। **(व्यवधान)** वह तो उनको मालूम है। यह अभी बता रहे हैं कि इस समय आर्थिक स्थिति जरा अच्छी नहीं है।

श्री जगेश देसाई : सभापति महोदय, गरीब से गरीब तबके के लोग अल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन बर्तनों पर एक्साइज ड्यूटी माफ करने के बारे में क्या सरकार सोच रही है ताकि कम से कम यह गरीब लोग बर्तन तो खरीद सकें ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सभापति महोदय मैंने पहले ही बताया है जो हमारे आए दिन इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं जिसमें केवल, रसोई घर की वस्तुएं, हाऊसहोलड आर्टिकल्ज जिसमें बर्तन आते हैं । दरवाजे और खिड़कियां और इनके फ्रेम आते हैं, इन पर इस साल बढ़ाया है, लेकिन अल्युमिनियम के बर्तनों पर पहले से पूरी छूट है, एक्साइज एग्जम्पशन है (**व्यवधान**)

श्री सभापति : बर्तनों पर पूरी छूट है भाई ।

श्री जगेश देसाई : अल्युनियम के बर्तनों पर बिल्कुल एक्साइज ड्यूटी नहीं है क्या ?

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि छूट है (**व्यवधान**)

कुमारी सरोज खापर्डे : क्या अल्युमिनियम के बर्तनों पर एक्साइज ड्यूटी आप कम करेंगे (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन : मंत्री जी को पूछना है तो चांदी सोने की बात पूछिए । अल्युमिनियम की पूछ रहे हैं वह उनको याद नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री सभापति : इनका पूछना है बर्तनों पर छूट आप देंगे क्या, आप कहते हैं कि है ।

SHRI RAMESHWAR THAKUR: That I have already said. "In order to encourage use of aluminium we have already granted full excise duty exemption to kitchen and other household articles, doors, windows, etc. of aluminium."

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Aluminium bolts, etc., are not household articles. They constitute the house. Household articles are kept inside the house.

MR. CHAIRMAN: Dr. Yelamanchili Sivaji.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: We appreciate the statement made by the Minister regarding exemption of excise duty on aluminium utensils. I would like to know from the Government as to what steps it further proposes to take in regard to giving subsidy for aluminium utensils.

MR. CHAIRMAN: From excise duty he has come to subsidy!

SHRI RAMESHWAR THAKUR: We are concerned with excise duty and if the hon. Member has any query in this regard, I am prepared to answer.

MR. CHAIRMAN: He is asking whether you are willing to give subsidy on aluminium utensils.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Utensils have already been exempted from excise duty and hence the necessity for subsidy does not arise.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : महोदय, अभी गरीब लोगों के लिए बर्तनों पर एक्साइज की माफी के बारे में जो मंत्री जी का उत्तर आया, सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । गरीब का बर्तन और गरीब के दरवाजे खिड़की पहले तो गरीब को घर ही नहीं है, अल्युमिनियम के दरवाजे और खिड़कियां तो वहां ग्रेटर कैलाश और फ्रेंड्स कालोनी में लगते हैं ।

श्री सभापति : आप प्रश्न करें ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : सभापति महोदय, खिड़की दरवाजों और टेबुल के लिए जो अल्युमिनियम लिया जाता है ।

श्री सभापति : टेबुल वेयर कह रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : टेबल वेयर के लिए जो लिया जाता है उनको एक्साइज की मुक्ति, एक्साइज की माफी है और अल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको जल्दी गलाकर दूसरी चीजें बना ली जाती हैं। मैं आपकी और मंत्री जी की इन्फारमेशन के लिए बताना चाहता हूं कि मथुरा में ऐसे कारखाने चलते हैं जहां शिलेट की चवन्नी और अठन्नी को गलाकर व्हाइट मेटल के आर्नामेंटस बनते हैं। इस चवन्नी और अठन्नी के व्हाइट मेटल के आर्नामेंट जैसे कान की मुरकी और नाक की नथनी में उनको 10 रुपये या 20 रुपये मिल जाते हैं। यह धंधा लोगों को सूट करता है। आप जो अल्युमिनियम बर्तन बनाने वालों को देते हैं जहां पर आप एक्साइज नहीं लगाते हैं या खिड़की दरवाजे बनाने के लिए देते हैं उस अल्युमिनियम को गलाकर दूसरे धंधे चल रहे हैं। उन धंधों को रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है यह बताने की कृपा करें क्योंकि आज के दिनों में देखा यह गया है कि अगर चोर भी घर में घुसता है तो अल्युमिनियम, पीतल या कांसे के बर्तन मिल जाते हैं तो चुरा लेता है लेकिन स्टील के बर्तन छोड़ जाता है क्योंकि वे गल नहीं सकते और इनको तुरंत गलाकर दूसरी चीजें बना ली जा सकती हैं। इस करके इसमें गलत धंधे चलते हैं। इनको रोकने की क्या व्यवस्था की गई है?

श्री सभापति : आपकी मदद से आप कुछ करेंगे इसमें ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमारे माननीय सदस्य ने जो जानकारी में डाला है। जहां तक हमारा सवाल है . . .

श्री सभापति : आपको इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : हमारी जानकारी तो नहीं है . . .

श्री सभापति : आप इन से जानकारी ले लीजिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जानकारी ले ली है इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूं कि अल्युमिनियम के क्रय और विक्रय पर पूर्ण छूट है इस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। क्रय और विक्रय पर छूट है। लोग अल्युमिनियम का सामान, बर्तन और धातु खरीदते हैं बेचते हैं। अब कोई सिक्के को गलाकर उसमें कुछ दूसरा बनाता है, यह उनका धंधा है। जो उनके उपयोगी है वह करते हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक्सट्रूशन प्लांटस को बर्तन बनाने के लिए, खिड़की और दरवाजों के ग्रिल बनाने के लिए जो आप शिलेट देते हैं वह सामान वहां बनता है या नहीं बनता है अथवा उसका और कुछ बनता है। इस पर कार्यवाही होती है या नहीं यह बताइये। आपका डिपार्टमेंट देखता है या नहीं देखता है ?

श्री सभापति : आपका डिपार्टमेंट इसे देखता है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : उन चीजों को जिन्हें हम देते हैं और जिस पर हमारा कंट्रोल है, कोटा के अंदर देते हैं उसमें उसके व्यवहार की खास बात होती है। जो छूट है इस पर किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नहीं है। उसमें नागरिकों को अधिकार है कि वे खरीदें बेचें और अपनी आवश्यकतानुसार उसका व्यवहार करें। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। केवल दरवाजे और खिड़की की बात माननीय सदस्य ज्यादा कर रहे हैं। हमने बताया कि सभी बर्तनों पर छूट है, हाउस होल्ड गुडस और आर्टिकल्स जो हैं उसमें पूरी छूट है।

Import of Machinery by M/s. Voltas

*24. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 122 given in the Rajya Sabha on the 10th May, 1990 and state:

(a) whether it is a fact that M/s. Voltas had imported machinery by